तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रेमकुमार बनाम मुन्ना वगैरह
	मु०नं० - 184/2014
18-10-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित/ पीठा. /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-11-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
15-11-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित/ पीठा. /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7-12-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
7-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित/ पीठा. /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-12-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
22-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित/ पीठा. /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित/ पीठा. /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
15-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वास्ते प्राप्त होने प्रारम्भिक डिक्री की पालन रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 19-2-18 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। (हस्ताक्षर)
19-2-18	वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार श्रीनगर/घोसूर से प्रारम्भिक डिक्री की पालन रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23-3-18 को पेश हो। PO साहब ~~[illegible]~~ व्यस्त है। (हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

प्रेमकुमार बनाम मूला वगै०

मु०न० - 184/2014

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18	प्रेमकुमार बनाम् मूला वगै0 दावा, मु0न0 184/2014 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2392/भू.अ./17 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की जा चूकी है। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आज ही अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व सलंग्न नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2392/भू.अ./17 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा प्राप्त हुई। वादी वकील प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट सें सहमत है। अतः वकील वादी की सहमति के आधार पर प्रकरण को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2392/भू.अ./17 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग बनाया	

Scanned by CamScanner

प्रेम कुमार बनाम मूला वगैरह

मु० नं० - 184/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जाता है। मुताबिक प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी भाँति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)
	यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner